

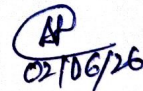
कार्यालय अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार

अल्पकालीन निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष- 2026-2027 के लिए निम्नलिखित सैरातों की निलामी अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार के कार्यालय कक्ष में दिनांक-12.06.2026 को 12:30 बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जाएगी। दिनांक-12.06.2026 को निलामी की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने पर अगली तिथि 18.06.2026 एवं 23.06.2026 को 12:30 बजे दिन में खुली डाक द्वारा की जाएगी। खुली डाक में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति को संबंधित सैरातों को विभाग द्वारा निर्धारित अग्रधन की राशि डाक में शामिल होने से पूर्व अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार के कार्यालय में एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम से कम राशि होने पर अगली निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती की जाएगी। बन्दोबस्ती सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा।

क्र० सं०	निलामी स्थल का ब्यौरा	निलामी की तिथि	विभाग द्वारा न्यूनतम राशि (रु०)	अग्रधन की राशि विभाग द्वारा न्यूनतम राशि का 10%
1	हरपुर प्रशाखा RPC	12.06.2026	26440.00	2645.00
2	हरपुर प्रशाखा LPC	12.06.2026	4675.00	470.00
3	एकवारी राजवाहा H/R	12.06.2026	14315.00	1435.00
4	कोईलवर राजवाहा धौरी फॉल	12.06.2026	605.00	60.00
5	शंकरटोला (अवगिला) फॉल	12.06.2026	106705.00	10670.00
6	फतेहपुर (खड़ाव खुर्द) फॉल	12.06.2026	1140.00	115.00

विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट wrd.bihar.gov.in or <https://State.bihar.gov.in/prdbihar> पर देखा जा सकता है।


अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार

निलामी की नियम एवं शर्तें

01. निलामी बोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग- अलग जमानत की राशि जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति एवं वापसी निलामी स्थल पर होगी।
02. जमानत की राशि जमा करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति डाक बोलने का अधिकारी होगा। सर्वोच्च डाक बोलने वाले एवं द्वितीय बीडर को छोड़कर शेष सभी का जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। सर्वोच्च डाक बोलने वाले व्यक्ति के जमानत की राशि का समायोजन निलामी की राशि जमा करने के समय की जाएगी। सर्वोच्च डाक बोलने वाले डाक की आधी राशि डाक समाप्त होने के पश्चात तीन दिनों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
03. सर्वोच्च डाक को सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात तीन दिनों के अन्दर निलामी की शेष राशि

- जमा करना होगा। अन्यथा डाक रद्द करते हुए जमानत की राशि एवं पुर्ण राशि नही जमा करने पर
04. निलामी के बाद किसी भी विवाद के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
05. जिस व्यक्ति को बन्दोबस्ती दी जाएगी उसे इस बात की गारंटी देनी होगी कि नहर संरचनाओं एवं वृक्षों की क्षति न हो। क्षति होने पर उनके मरम्मत पर आनेवाले व्यय की वसूली निलामी लेने वाले व्यक्ति से की जाएगी।
06. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की मूल प्रति दिखाना एवं उनकी अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(Signature)
02/06/26

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी

(Signature) सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार
02/06/26

पत्रांक- 122 सहार

दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को निलामी सूचना उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि हिन्दी एवं अंग्रेजी सामाचार पत्रों में लागातार दो दिन तक प्रकाशन हेतु समर्पित।

(Signature)
02/06/26

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी

(Signature) सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार
02/06/26